कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/22497/कक्षौन्नति/2017/44 दिनांक:31.03.2017

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक –प्रथम/द्वितीय

विषय :– सत्र : 2016–17 का कक्षा 6 से 10 का परीक्षा परिणाम "शाला दर्पण परीक्षा परिणाम मॉड्यूल" द्वारा तैयार करने बाबत।

प्रसंग :– अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर का पत्रांक : रामाशिअ/जय/शाला दर्पण/2017/328, दिनांक : 27.03.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में लेख है कि "शाला दर्पण पोर्टल" पर कक्षा 6 से 10 हेतु परीक्षा परिणाम मॉड्यूल प्रारम्भ किया गया है, जिस पर सत्र : 2016–17 के कक्षा–6 से 10 तक के परीक्षा परिणाम सम्बन्धी डाटा फीडिंग का कार्य विद्यालय स्तर से किया जाना है। इस सम्बन्ध में फील्ड से वांछित विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं तथा समस्याओं के निराकरण/समाधान हेतु निदेशालय स्तर से समय–समय पर प्रसारित परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम तथा विषयवार मूल्यांकन के लिए जारी अंक विभाजन योजना सम्बन्धी निम्नांकित निर्देश परिपत्रों का सन्दर्भ लेवें :–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम सम्बन्धी परिपत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षो. नियम/11–12, दिनांक : 25.03.12 एवं समसंख्यक संशोधित परिपत्र दिनांक : 27.03.14 तथा 16.03.2016 (कक्षा–9 से 12 हेतु प्रभावी)
2. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा विषयवार मूल्यांकन के लिए अंक विभाजन योजना सम्बन्धी परिपत्र क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22497/कक्षौन्नति/2011–12, दिनांक : 10.08.11 तथा 30.08.11 के क्रम में कक्षा–9, 10, 11 तथा 12 के लिए विषयवार मूल्यांकन हेतु प्रभावी अंक विभाजन योजना।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम तथा विषयवार अंक विभाजन योजना सम्बन्धी परिपत्र क्रमांक : शिविरा /प्राशि /शैक्षिक /एबी/3511 /2011–12, दिनांक : 26.10.12 {उन विद्यालयों, जिनमें सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था (सी.सी.ई.) लागू नहीं है, की कक्षा–6 से 8 हेतु प्रभावी}

उपर्युक्त परिपत्रों की प्रतियां संलग्न प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कक्षा–6 से 10 तक का परीक्षा परिणाम "शाला दर्पण परीक्षा परिणाम मॉड्यूल" द्वारा तैयार करवाया जाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
4. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा।

उप निदेशक (माध्यमिक)

रजिस्टर्ड पत्र

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्राशि / शैक्षिक / एबी / 3511 / 2011–12 दिनांक 26.10.12

प्रेषकः–

डा.रविकुमार सुरपुर
निदेशक IAS

प्रेषिती :–

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा(समस्त)

विषयः–परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम (सत्र 2012–2013 से लागू)बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.1(4)प्राशि / 2012 दिनांक 08.10.12 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम 2012–2013 से लागू होंगे। इस कक्षौन्नति नियमों के अनुरूप परीक्षा एवं कक्षौन्नति की प्रकिया संपादित करने हेतु समस्त संस्था प्रधानों को भी निर्देशित करावें।

संलग्नःउपरोक्तानुसार

निदेशक

प्रतिलिपि निमनांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,जयपुर।
2. समस्त उपनिदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा।
3. संपादक,शिविरा पत्रिका को सात अतिरिक्त प्रतियों के प्रकाशनार्थ प्रेषित हैं।

निदेशक

www.rajteachers.com

27/10/2012

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभ

क्रमांक : प. 1 (4)/प्राशि/2012 जयपुर, दिनांक: 8.10.12

परिपत्र

एज्यूकेशन कोड (शिक्षा संहिता) के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उप नियमों एवं समय–समय पर जारी संशोधनों/परिवर्धनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2012–2013 से निम्न परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम लागू किये जाते है। इनकी पालना सुनिश्चित करावें :–

प्रारम्भिक शिक्षा परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम
(सत्र 2012–2013 से लागू)

1. क्षेत्र

1. ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलाऐंगे तथा राजस्थान के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों, शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों, मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों तथा राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 पर लागू होंगे।
2. यह दिशा निर्देश उन विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे जिनमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था लागू है।

2. सामान्य निर्देश

2.1 परीक्षा प्रवेश योग्यता–

1. कक्षा 1 से 8 की परीक्षाओं में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेगें जिन्होने किसी शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हो।
2. विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम.) रजिस्टर/अभिलेख, आंगनबाडी अभिलेख अथवा माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक आयु अनुरूप प्रवेश दिया जा सकेगा, परन्तु किसी भी बालक को जन्म के प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश से इन्कार नहीं किया जायेगा। आयु अनुरूप प्रवेशित बालको की दक्षताओं का संस्था प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आकलन कर कक्षा अनुरूप स्तर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा मान्य, बिन्दु–1 में उल्लेखित संस्था द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तीर्ण कक्षा से अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

2.2 उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता –

1. कक्षा 1–8 तक सत्र पर्यन्त आयोजित होने वाले सामयिक परख एवं अर्द्ध–वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने की स्थिति में संस्था प्रधान अनुपस्थिति के कारणों की सन्तुष्टि के पश्चात् विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थित होने पर सामयिक परख/अर्द्ध–वार्षिक परीक्षा की व्यवस्था पृथक से करेगा। यह परीक्षा उन्ही विषयों की आयोजित की जाए जिनमें विद्यार्थी पूर्व में अनुपस्थित रहा है।

(2)

www.rajteachers.com

2. कक्षा 1 से 8 तक में नियमित विद्यार्थियों की उपस्थिति की गणना विद्यालय प्रारम्भ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि (शिविरा पंचांग में अंकित अन्तिम प्रवेश तिथि तक अथवा विस्तारित कालावधि) से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जायेगी। यह न्यूनतम उपस्थिति 70 प्रतिशत होगी।

3. जो विद्यार्थी लगातार 45 दिन तक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है अथवा 2.2 (2) के अनुसार आवश्यक उपस्थिति स्तर प्राप्त नही करता है तो ऐसे विद्यार्थी को ड्रॉप आउट मानते हुए आयु अनुरूप पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जाकर उसे विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उस कक्षा के स्तर तक लाया जावेगा।

4. संस्था प्रधान संतुष्ट होने के बाद विद्यार्थियों की रूग्णता अथवा युक्तियुक्त कारणों से वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति में अपने विवेकानुसार अधिकतम 10 प्रतिशत तक छूट दें सकेंगें। विद्यार्थी द्वारा रूग्णता प्रमाण पत्र सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा।

2.3 परीक्षा तैयारी अवकाश –

1. शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु 1 दिन तथा वार्षिक परीक्षा हेतु 2 दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जाएगा। इन दिनों में विद्यालय खुला रहेगा। अध्यापक व अन्य कर्मचारी अभिलेख तथा परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कार्य पूरा करेगें। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा।

2. जिन उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र है, वहॉ बोर्ड परीक्षा अवधि में कक्षा 1 से 8 का अध्यापन कार्य यथावत जारी रहेगा। इस कार्य हेतु दोपहर 12.00 से सायं 2.30 बजे तक शिविरा पंचांग के अनुसार समयावधि रहेगी।

2.4 प्रश्न पत्र व्यवस्था –

1. सभी प्रकार की परीक्षाओं एवं सामयिक परख के लिए प्रश्न पत्रों की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर की जायेगी। संस्था प्रधान सामयिक परखों, अर्द्ध–वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से पूर्व शिक्षकों से तैयार करवाकर सुरक्षित रख लें।

2. संस्था प्रधान मूल्यांकन कार्य हेतु सत्र के प्रारंभ में ही प्रत्येक विद्यार्थी के लिये प्रत्येक विषय हेतु एक सतत मूल्यांकन फोल्डर (फाईल) उपलब्ध करवायेंगे, जिसमें सत्र पर्यन्त आयोजित होने वाली परीक्षाओं, प्रोजेक्ट कार्य एवं विद्यार्थियों के द्वारा किये गये मौलिक कार्य आदि से संबंधित रिकॉर्ड रखा जायेगा। एक अन्य फोल्डर में चित्रकला, संगीत, स्वास्थ्य, स्वच्छता, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास संबंधित कार्यों से संबंधित रिकार्ड रखा जायेगा। यह फोल्डर विद्यालय में संबंधित शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा संधारित किया जाएगा। इसका उपयोग विद्यार्थियों की प्रगति के लिए शाला प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों के साथ आयोजित की जाने वाली बैठकों में भी किया जाएगा।

www.rajteachers.com

2.5 सामयिक परख एवं परीक्षाएं –

संबंधित सत्र में विभागीय पंचाग में दिये गये निर्देशानुसार कक्षा 1से 8 तक की सामयिक परख एवं परीक्षाएं आयोजित होंगी।

2.6 शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन (परीक्षा परिणाम) –

1. संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को निश्चित दिनांक पर विद्यालय में बुलाकर दिखाये जाएगें। इस दिन अभिभावकों की बैठक आयोजित कर उन्हें विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति से अवगत करायेंगें।

2. शिविरा पंचांग के अनुसार निर्दिष्ट दिनांक को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात् प्रगति पत्र अभिभावकों को दिये जाएगें।

2.7 पूर्णांक –

कक्षा 1 से 8 हेतु विभिन्न सामयिक परखों एवं परीक्षाओं के लिये विषयवार अंक विभाजन संलग्न परिशिष्ट क, ख एवं ग के अनुसार होंगें।

2.8. उत्तीर्णता नियम –

1. विद्यार्थियों को उनकी सामयिक परखों, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड दी जायेगी।

2. ग्रेड निर्धारण नियम –

कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'क' के अनुसार, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'ख' के अनुसार तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट 'ग' के अनुसार प्राप्तांक भरे जाएगें। प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड निम्नानुसार दी जायेगी :–

क्र.सं.	प्राप्तांकों का प्रतिशत	ग्रेड
1	0 से 30 प्रतिशत तक	ई / E
2	31 से 50 प्रतिशत तक	डी / D
3	51 से 70 प्रतिशत तक	सी / C
4	71 से 85 प्रतिशत तक	बी / B
5	86 से 100 प्रतिशत तक	ए / A

नोटः–1. प्रतिशत में भिन्नांश को आगामी पूर्णांक में माना जायेगा। तीनों परखों, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक यदि भिन्न में हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाए।

2. कक्षा 1 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण/प्रोन्नत घोषित किये जायेंगें।

2.9 अतिरिक्त शिक्षण –

1. प्रत्येक सामयिक परख/अर्द्ध–वार्षिक परीक्षा के पश्चात उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, अध्यापक द्वारा अतिरिक्त शिक्षण दिया जायेगा। अतिरिक्त शिक्षण के बाद विद्यार्थियों की पुनः जॉच होगी तथा इस पुनः जॉच के परिणाम को मूल्यांकन का आधार मानकर प्रगति पत्र में प्रविष्टि की जायेगी।

www.rajteachers.com

2. विशेष परीक्षा –

1. वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रूग्णता प्रमाण पत्र अथवा युक्तियुक्त कारण का प्रार्थना पत्र देता है अथवा किसी विषय विशेष में ई ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे उन सभी विषयों में 1–15 मई की अवधि में अतिरिक्त शिक्षण दिया जाकर उसे कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के स्तर तक लाने हेतु प्रयास किया जायेगा। इसकी जांच हेतु विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विशेष परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जावेगी।

2. इस विशेष परीक्षा के उपरान्त भी यदि कोई विद्यार्थी अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं करता है तो उसे आगामी सत्र के प्रारम्भ से आगामी कक्षा के साथ–साथ उन विषयों के लिए जिनमें अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, में विशेष शिक्षण दिया जाकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बराबर स्तर पर लाया जायेगा। यह प्रक्रिया अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त होने तक जारी रहेगी।

3. सतत मूल्यांकन फोल्डर का रखरखाव –

विद्यार्थियों के सतत मूल्यांकन फोल्डर को विद्यालय में संधारित किया जायेगा। यह सतत मूल्यांकन फोल्डर अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त किये जाने तक संधारित किया जायेगा। इस सतत मूल्यांकन फोल्डर में दर्शाये गये मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाफल की प्रविष्टि परीक्षाफल पंजिका में स्थायी रूप से अंकित की जायेगी। परीक्षाफल पंजिका 5 वर्ष तक एवं सतत मूल्यांकन फोल्डर एक वर्ष तक सुरक्षित रखे जायें।

4. विद्यार्थी संचयी अभिलेख

विद्यार्थी संचयी अभिलेख विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के समस्त क्षेत्रों/पक्षों की प्रगति को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है। इस अभिलेख में बालक के विकास की प्रक्रिया, सामाजिक भावात्मक विकास, पसन्द, रूचि, मजबूत पक्ष एवं एक समय विशेष में होने वाली प्रगति का आकलन परिलक्षित होता है।

1. अभिलेख के प्रथम पृष्ठ के अधिकांश कॉलम की पूर्ति सत्रारम्भ में ही कर दी जाये।

2. संचयी अभिलेख प्रपत्र में विद्यार्थी के अध्ययन काल के वर्षों से सम्बन्धित सूचनाएं अंकित की जायें। जब विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर अन्यत्र जाता है, उस समय कक्षाध्यापक द्वारा समस्त पूर्ति की जॉच की जाकर संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर सहित विद्यार्थी को यह अभिलेख उपलब्ध करवाया जाये।

3. कक्षा 1–8 में संगीत चित्रकला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के विकास आदि का विवरणात्मक कथन का निर्धारण कक्षाध्यापक द्वारा विषय अध्यापकों के साथ चर्चा एवं विचार विमर्श करने के उपरान्त दर्ज किया जाना है। वर्ष पर्यन्त विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों में किये गये विशिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में घटनावृत अभिलेख "सतत मूल्यांकन फोल्डर (फाईल)" में संधारित किया जायेगा। सत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर समेकित टिप्पणी अंकित की जायेगी।

4. यदि कोई विद्यार्थी शैक्षिक सत्र के मध्य में किसी कारणवश विद्यालय छोड अन्यत्र कहीं अध्ययन हेतु पलायन करता है तो उसका संचयी अभिलेख प्रपत्र उसकी अध्ययनरत कक्षा के स्तर तक का भरा जाये तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ ही दिया जाये।

www.rajteachers.com

5. अन्य नियम–

1. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण किये जाने पर प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में विद्यार्थियों को दिया जायेगा।
2. परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात परीक्षाफल की एक प्रति नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
3. विद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात परीक्षार्थियों को उनके प्रगति पत्र दिए जायेंगें।
4. प्रगति पत्र की पूर्ति संचयी अभिलेख प्रपत्र के आधार पर की जायेगी।
5. प्रगति पत्र/प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क 5 रूपये प्राप्त कर दी जायेगी, जिस पर द्वितीय प्रति अंकित कर तथा स्थाई अभिलेख में प्रविष्टि की जायेगी एवं तृतीय प्रति 10 रूपये निर्धारित शुल्क प्राप्त कर दी जाये।

संलग्न :– विषयवार अंक विभाजन (परिशिष्ट क, ख एवं ग)

1. परिशिष्ट क – कक्षा 1 व 2
2. परिशिष्ट ख – कक्षा 3 से 5
3. परिशिष्ट ग – कक्षा 6 से 8
4. परिशिष्ट घ – संचयी अभिलेख प्रपत्र

(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/~~माध्यमिक~~ शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
5. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, जयपुर।
6. समस्त शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/2/5/6)/प्राशि(आयो.) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

(6)

www.rajteachers.com

2.7 विषयवार अंक विभाजन कक्षा– 1, 2

विषयवार अंक विभाजन : कक्षा 1										विषयवार अंक विभाजन : कक्षा 2										
विषय	अर्द्ध–वार्षिक			वार्षिक			सर्व योग			विषय	अर्द्ध–वार्षिक			वार्षिक			सर्व योग		
	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग		मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग
हिन्दी	70	30	100	70	30	100	140	60	200	हिन्दी	70	30	100	70	30	100	140	60	200
गणित	70	30	100	70	30	100	140	60	200	गणित	70	30	100	70	30	100	140	60	200
अंग्रेजी	35	15	50	35	15	50	70	30	100	अंग्रेजी	35	15	50	35	15	50	70	30	100
पर्यावरण		50		50			100			पर्यावरण		50		50			100		
कार्यानुभव		25		25			50			कार्यानुभव		25		25			50		
कला शिक्षा		25		25			50			कला शिक्षा		25		25			50		
स्वा.शिक्षा		50		50			100			स्वा.शिक्षा		50		50			100		

नोट :– 1. पर्यावरण, कार्यानुभव, कला शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा का गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जायेगा एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दी जावेगी।

2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट (ख)

2.7 विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 3 से 5)

क्र.सं.	विषय	सामयिक जांच			अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन			वार्षिक मूल्यांकन			सर्व योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	मौखिक	लिखित	योग	मौखिक	लिखित	योग	
1.	हिन्दी	10	10	10	20	50	70	40	60	100	200
2.	अंग्रेजी	5	5	5	10	25	35	20	30	50	100
3.	गणित	10	10	10	20	50	70	40	60	100	200
4.	पर्यावरण अध्ययन	10	10	10	20	50	70	40	60	100	200

		प्रथम मूल्यांकन	द्वितीय मूल्यांकन	तृतीय मूल्यांकन	चतुर्थ मूल्यांकन	पंचम मूल्यांकन	योग
5.	कार्यानुभव	20	20	20	20	20	100
6.	कला शिक्षा	20	20	20	20	20	100
7.	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	20	20	20	20	20	100

नोट :– 1. क्रम संख्या 5, 6 व 7 पर अंकित विषयों के गतिविधि आधारित मूल्यांकन क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सामयिक जांच तथा अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के साथ ही किये जायेंगे एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दी जावेगी।

2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट (ग)

2.7 विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 6 से 8)

क्र. सं.	परीक्षा का प्रकार / विषय एवं अंक योजना	प्रथम परख			द्वितीय परख			तृतीय परख			अर्द्ध वार्षिक			वार्षिक			योग
		लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	लिखित (शिक्षक द्वारा)	गतिविधि मौखिक, प्रोजेक्ट, प्रायोगिक (शिक्षक द्वारा)	योग	
1.	हिन्दी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
2.	अंग्रेजी	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
3.	तृतीय भाषा	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
4.	गणित	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
5.	विज्ञान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200
6.	सा. विज्ञान	5	5	10	5	5	10	5	5	10	50	20	70	70	30	100	200

क्र. सं.	परीक्षा का प्रकार	प्रथम मूल्यांकन	द्वितीय मूल्यांकन	तृतीय मूल्यांकन	चतुर्थ मूल्यांकन	पंचम मूल्यांकन	योग	ग्रेड
7.	कार्यानुभव	20	20	20	20	20	100	
8.	कला शिक्षा	20	20	20	20	20	100	
9.	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा	20	20	20	20	20	100	

नोट – 1. क्रम संख्या 7, 8 एवं 9 पर अंकित विषयों के गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जायेगा एवं ग्रेड 2.8 (2) के अनुसार दी जावेगी।

2. मौखिक मूल्यांकन हेतु विद्यार्थी के सतत मूल्यांकन फोल्डर में संग्रहित कार्यों को भी आधार बनाया जाये।

www.rajteachers.com

परिशिष्ट घ

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान

विद्यार्थी संचयी अभिलेख

सत्र ..... से ..... तक

विद्यालय का नाम ..... डायस कोड .....

विद्यार्थी का नाम .....

लिंग : छात्र / छात्रा श्रेणी .....एससी / एसटी / ओबीसी / अपिव / सामान्य / अन्य)

माता का नाम ..... पिता का नाम .....

संरक्षक का नाम ..... विद्यार्थी के साथ सम्बन्ध .....

कक्षा ..... प्रवेशांक ..... प्रवेश दिनांक .....

जन्म दिनांक (अंकों में) ..... जन्म दिनांक (शब्दों में) .....

विशेष आवश्यकता (सीडब्लूएसएन) विवरण (यदि कोई हो तो) एमआर एचआई वीआई ओएच

(सही का निशान अंकित करें)

स्थायी पता : .....

.....

अन्यत्र जाने का कारण .....

कक्षा उत्तीर्ण ..... प्रवेश योग्य कक्षा .....

अभिलेख प्रपत्र जारी करने की दिनांक .....

कक्षाध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर अभिभावक

प्रधानाध्यापक का नाम एवं हस्ताक्षर मय सील

www.rajteachers.com

ज्ञानात्मक क्षेत्र –

कक्षा 1–2 हेतु प्रारूप

कक्षा ..... सत्र .....

विषय	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	पर्यावरण	कार्यानुभव	कला शिक्षा	स्वास्थ्य शिक्षा
ग्रेड							

समेकित टिप्पणी (सृजनात्मकता, रूचि, संवेदनशीलता, परिवेशीय सजगता, स्वच्छता आदि के सम्बन्ध में)–

कक्षा 3–8 हेतु प्रारूप

कक्षा ..... सत्र .....

विषय	हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	पर्यावरण अध्ययन / विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	संस्कृत	कार्यानुभव	कला शिक्षा	स्वास्थ्य एवं शा. शिक्षा
ग्रेड									

समेकित टिप्पणी (आत्म विश्वास, देखभाल, सहयोग, पहल, समय की पाबन्धी, सृजनात्मकता, रूचि, संवेदनशीलता, परिवेशीय सजगता, स्वच्छता आदि के सम्बन्ध में) –

विद्यार्थी उपस्थिति विवरण –

सत्र	कक्षा	कुल मीटिंग	उपस्थिति	प्रतिशत उपस्थिति	नियमितता पर टिप्पणी

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

विषयः– परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम– 2011–12

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से संबंधित सभी स्तर के विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली गृह परीक्षाओं एवं कक्षा कक्षोन्नति नियमों के संबंध में अब तक जारी विभाग स्तर के नियमों/उप नियमों एवं समय–समय पर जारी संशोधनों/परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011–12 से नवीनतम नियम प्रसारित किये जा रहे हैं। ये नियम कक्षा 9 से 12 तक के लिए मान्य होंगे।

उक्त नियम शैक्षिक सत्र 2011–12 से लागू माने जायेंगे।

संलग्नः– परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम

निदेशक 23/3/12
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षो0नियम/11–12 दिनांकः 23/3/12
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशेषाधिकारी, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर
2. सचिव,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
3. समस्त उपनिदेशक(माध्यमिक), शिक्षा विभाग
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
5. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम ::
(शैक्षिक सत्र 2011–12 से लागू)

एज्यूकेशन कोड (शिक्षा विभाग) के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उपनियमों एवं समय समय पर जारी संशोधनो/परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011–12 से निम्न नियम प्रसारित किये जाते है :–

(1) ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलायेगें तथा राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सभी राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की गृह परीक्षा पर लागू होंगे।

(2) सामान्य नियम :–

2.(क) परीक्षा प्रवेश योग्यता :–

1. कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ठ हो सकेंगे जिन्होने किसी भी राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हों।
2. कक्षा 9 व 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जायेगा, जिसने कम से कम दो लिखित सामयिक परखें दी हो या एक लिखित परख और अर्द्धवार्षिक परीक्षा दी हो और जिस परीक्षा/परख में वह सम्मिलित नही हुआ हों उसके कारणों की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया सन्तुष्ट कर दिया हो।
3. बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के नियम लागू होंगे।

2.(ख) उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता :–

1. कक्षा 9 व 11 तक में नियमित छात्रों की उपस्थिति गणना विद्यालय सत्रारम्भ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियो की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि (शिविरा पंचांग में अंकित अंतिम प्रवेश तिथि तक) से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जायेगी। कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार होगी।
2. कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के सात दिन के बाद से की जायेगी।
3. यदि विद्यार्थी शिक्षण सत्र के मध्य में मान्यता प्राप्त संस्था से स्थानान्तरणवश किसी अन्य विद्यालय से प्रवेश ले तो उनकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय की उपस्थिति मंगवाकर जोड़ली जाय।
4. स्थानान्तरित अथवा प्रवृजित विद्यार्थियों को प्रवेश देने से पूर्व ही उपस्थिति के नियम से अवगत करादिया जाय और यदि उसकी उपस्थिति न्यून होने की सम्भावना हो तो उन्हे प्रवेश ही न दे।

www.rajteachers.com

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के 10 दिन के अन्दर नियमानुसार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि से होगी।
6. राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर कक्षा 11 में नियमित प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। इसकी उपस्थिति की गणना प्रवेश लेने की तिथि से होगी।
7. वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय के कुल कार्य दिवसों अथवा छात्र के प्रवेश उपरान्त कुल कक्षा मिटिंग में से निम्नानुसार उपस्थित रहना अनिवार्य है :–

कक्षा 9 एवं 11	75 प्रतिशत उपस्थिति

8. यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रूग्णावस्था के कारण अनुपस्थित रहा है तो विद्यालय के कुल दिवसों की प्रतिशत न्यूनतम के आधार पर विद्यार्थी को निम्न प्रकार से मुक्त करके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते है :–

1.कक्षा 9 एवं 11	30 मिटिंग (15 दिन की उपस्थिति का लाभ)

2. रूग्णावस्था के मामलों में कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियो के सन्दर्भ में न्यूनतम 60 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर विद्यार्थी परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

2.(ग) परीक्षा तैयारी अवकाश :–

1. शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु एक दिन का तथा 9 तथा 11 के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु दो दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जावेगा परन्तु उक्त दिवसों में विद्यालय खुला रहेगा, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी अभिलेख तथा परीक्षा से संबंधित कार्य पूरा करेंगे। यह अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा।
2. कक्षा 10 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु बोर्ड परीक्षा आरम्भ होने की तिथि से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा निर्देशित अथवा 14 दिवसों का पूर्व तैयारी अवकाश दिया जायेगा जिसमें प्रथम 7 दिवसों में विद्यार्थियों हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन इस ढंग से किया जाए ताकि परीक्षा में अधिकतम शैक्षिक उपलब्धि हो सकें।

2.(घ) प्रश्न पत्र व्यवस्था :–

1. सामयिक परखों में प्रश्न पत्र लिखा कर अथवा श्यामपट् पर अंकित करवाये जायेगे तथा प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जावे।
2. किसी परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर प्रश्न पत्र कार्बन पेपर से सुपाठ्य हस्त लिखित अथवा टंकित करवाये जावे। 10 से अधिक

www.rajteachers.com

विधार्थी होने पर प्रश्न पत्र कमप्यूटर से टंकित करवाकर छाया प्रति दी जा सकेंगी।

3. कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा/अर्द्धवार्षिक परीक्षा/पूरक परीक्षा/पुनः परीक्षा एवं कक्षा 10 एवं 12 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु जिला समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत मुद्रित प्रश्न पत्रों को ही उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए प्रयोग में लिए जावे। गत वर्षों के बचे हुए प्रश्न पत्रों का उपयोग कतई नही किया जावे।
4. समस्त प्रकार की मान्यता प्राप्त गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं को भी जिला समान परीक्षा योजना के तहत प्रश्न पत्र लेने अनिवार्य हैं।

2.(ई) सामयिक परखें एवं परीक्षाएं :–

1. संबंधित सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की तीन सामयिक परखें होंगी।
2. सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार दो परीक्षाएं होगी।
   अ– अर्द्ध वार्षिक परीक्षा (कक्षा 9 से 12)
   ब– वार्षिक परीक्षा (कक्षा 9 एवं 11)
   नोट :– कक्षा 9 से 12 की अर्द्ध वार्षिक परीक्षा एवं कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा शिविरा पंचांग में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आयोजित की जावें।

www.rajteachers.com

2.(च) परीक्षा परिणामों की घोषणा :–

संस्था प्रधानं द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को विद्यालय में आमन्त्रित कर अवलोकन करवाया जाए। शिविरा पंचांग के अनुसार निर्दिष्ट दिनांक को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर सूचना पट्ट पर प्रसारित करने के पश्चात् अन्तिम रूप से प्रगति पत्र अभिभावको को भेजे भावे।

2.(छ) पूर्णाक :–

1. कक्षा 9 से 12 हेतु विभिन्न परखों एवं परीक्षाओं के परिणाम के पूर्णाक विभाग द्वारा जारी मूल्याकन योजना के अनुसार होंगे।
2. बोर्ड कक्षाओं हेतु पूर्णाक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशों एवं नियमानुसार निर्धारित होंगे।

(3) उत्तीर्णता नियम :–

1. विद्यार्थियों को उनकी तीन सामयिक परखों अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्ताओं के योग को मिलाकर/एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांको के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जायेगा। कक्षा 9 एवं 11 में वही विद्यार्थी कक्षोन्नति/उत्तीर्ण का अधिकारी माना जायेगा, जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णाक के न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो। परन्तु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
2. जिन विषयों में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उनमें अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई कृपांक अंक देय नही है।
3. तीनो परखों का योग अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हों तो उन्हे अगले पूर्णाक में परिवर्तित कर दिया जावे।

4. यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहां सामयिक परख नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर एक परख, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जायेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा नवक्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख व परीक्षा हो चूकी हो उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णाकों के योग के आधार पर घोषित किया जायेगा।
6. राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर विलम्ब से प्रवेश लेने वाले (अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व) का परीक्षा परिणाम अर्द्धवार्षिक परीक्षा, तृतीय परख एवं वार्षिक परीक्षा के पूर्णाक के आधार पर घोषित होगा।

(4) रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना :–

1. यदि कोई विद्यार्थी (कक्षा 9 व 11) अपनी रूग्णावस्था के कारण किसी सामयिक परख अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में नही रहा है तो इसे उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह की समयावधि में रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. अन्तिम परीक्षा परिणाम उन्ही विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होने कम से कम दो सामयिक परखें तथा वार्षिक परीक्षा अथवा एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हो।

(5) कृपांक :–

1. कृपांक के लिए विद्यार्थी का आचारण एवं व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है। अधिकतम दो विषयों में कृपांक दिये जा सकते हैं।
2. कक्षा 9 एवं 11 में यदि विद्यार्थी एक ही विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णाक के अधिकतम 5 प्रतिशत कृपांक दिए जा सकते है और यदि विद्यार्थी दो विषयों में असफल है तो प्रत्येक संबंधित विषय में उसके पूर्णाक के अधिकतम 2 प्रतिशत कृपांक दिये जा सकते है।
3. रूग्णावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक देय नहीं होंगे व उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(6) श्रेणी निर्धारण नियम :–

1. 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर प्रथम श्रेणी।
2. 48 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर द्वितीय श्रेणी।
3. 36 प्रतिशत व उससे अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर तृतीय श्रेणी।
4. 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता मानी जायेगी।
5. अगर कोई विद्यार्थी चिकित्सा (सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर) में रहने के फलस्वरूप किसी सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नही हुआ तो उसका श्रेणी/स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

www.rajteachers.com

"विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार कक्षा में श्रेणी/स्थान का निर्धारण किया जायेगा।"

6. श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृहद योग के आधार पर ही होगी। अर्थात श्रेणी निर्धारण करते समय कृपांक नही जोड़ें जावेगे।
7. पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंकतालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किये गये अंकों के साथ, पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंकतालिका जारी करदी जावे।

(7) पूरक परीक्षा नियम :–

(अ) पात्रता :–

1. पूरक परीक्षा अधिकतम किन्ही दो विषयों में दी जा सकेगी।
2. संबंधित विषय में कक्षा 9 व 11 में प्रथम परख से वार्षिके परीक्षा तक के पूर्णाकों का 25 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है।

(ब) **परीक्षा आयोजन** :– शिविरा पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोज्य होगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्णाक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णाक माने जाएंगे।

(स) **पूर्णाक** :– प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णाक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जावेगा।

(द) **परीक्षा उत्तीर्णता** :– वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित समझा जायेगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय/विषयों में 36 प्रतिशत अंक अलग–अलग प्राप्त किये हो। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक नहीं दिये जायेंगे।

(य) **परीक्षा परिणाम** :– शिविरा पंचांग मे निर्दिष्ट दिनांक पर पूरक परीक्षा परिणाम घोषित किया जावे।

(र) **परीक्षा शुल्क (प्रति विषय)** :– कक्षा 9 व 11 के लिए 20 रूपये।

(8) पुनः परीक्षा (नियमित विद्यार्थियों हेतु) :–

1. **पात्रता** : वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रूग्णता प्रमाण पत्र देता है, तो वह उन सभी विषयों में जिनके लिए रूग्णता प्रमाण पत्र दिया गया है। पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा।
2. **परीक्षा आयोजन** : पुनः परीक्षा उन्ही तिथियों में होगी जिन तिथियों में पूरक परीक्षा आयोज्य होगी।
3. **पुनः परीक्षा शुल्क (प्रति विषय)** : कक्षा 9 एवं 11 के लिए 20 रूपये।
4. **परीक्षा परिणाम** : सामयिक परखों, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा/पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। जिन विषयों में विद्यार्थी ने पुनः परीक्षा दी है। उन विषयों में वह कृपांक का अधिकारी नही होगा। शेष विषयों में नियम 5 के अनुसार कृपांक का अधिकारी होगा।

(9) उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा :–

1. प्रत्येक सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दिखाई जावे।
2. सभी परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं को विद्यालय में आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखा जावे।

www.rajteachers.com

3. परिवीक्षण अधिकारियों द्वारा विद्यालय के परिवीक्षण के अवसर पर उक्त रिकार्ड का निरीक्षण किया जावे।

(10) अन्य नियम :–

1. कोई विद्यार्थी यदि अपनी अर्द्धवार्षिक परीक्षा में रूग्णता के कारण सम्मिलित न हो तो उसे अपना रूग्णता प्रमाण पत्र परीक्षा/प्रश्न पत्र प्रारम्भ होने के सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा।
2. परीक्षाफल घोषित होते ही परीक्षाफल की प्रति परिणाम घोषित करने के उसी दिन अथवा अगले दिन नियन्त्रण अधिकारी के पास प्रेषित की जावे।
3. विद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात् उसी दिन अथवा अधिकतम दो दिन की अवधि में परीक्षार्थियों को उनके प्रगति पत्र दे दिये जावे।
4. परीक्षाफल के पुनरावलोकन के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क रूपये 20 प्रति विषय के साथ परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् सात दिन की अवधि में संस्था प्रधान के पास विद्यार्थी या उसके अभिभावक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
5. पुनरावलोकन में केवल निम्नलिखित बातों की जांच सम्मिलित होगी :–

   (अ) सभी प्रश्न जॉचे गये है या नही।
   (ब) अंको का योग सही है या नही।
   (स) ऐसे पुनरावलोकन के सभी मामलों का निर्णय पूरक परीक्षा से पूर्व हो जाना चाहिए।

6. प्रगति प्रत्र की दूसरी प्रति 20 रूपये शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। जिस पर द्वितीय प्रति अंकित करना जरूरी है तथा स्थाई अभिलेख में भी इन्द्राज किया जावे।
7. कोई भी छात्र अन्य छात्र की जाँची हुई सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका देखने के लिए संस्था प्रधान से लिखित में अनुमति प्राप्त कर प्रति विषय 10 रूपये की दर से शुल्क जमा करवाकर संस्था प्रधान के समक्ष ऐसी उत्तर पुस्तिका देख सकेंगा। यदि उक्त छात्र या उसके अभिभावक द्वारा उत्तरपुस्तिका को नुकसान पहुचाया जाता है तो संस्था प्रधान उसके विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना दर्ज करवाकर प्रतिलिपि अपने नियन्त्रण अधिकारी को देगा।

(11) स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु नियम :–

1. कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थी ने यदि नियमानुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में दी हो तो वह उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश ले सकता है।
2. यदि कोई स्वयंपाठी परीक्षार्थी कक्षा 9 में नियमित रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार प्रवेश दिया जावे।

www.rajteachers.com

(12) परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में नियम :–

(अ) निम्न प्रकार के व्यवहार अनुचित साधनों का प्रयोग माने जायेंगे :–

1. परीक्षा कक्ष में किसी विद्यार्थी को सहायता देना अथवा उससे या अन्य किसी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करना
2. परीक्षा कक्ष में कागज, पुस्तक, कॉपी अन्य अवांछनीय सामग्री अपने पास/मुह में/डैस्क में/उत्तरपुस्तिका आदि में या परीक्षा भवन के आस–पास रखना।

3. उत्तरपुस्तिका चोरी से लाना या ले जाना व उत्तरपुस्तिका में अपशब्द पूर्ण व अश्लील भाषा का प्रयोग करना या करने का प्रयत्न करना या दुराचरण करना।

(ब) अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (यदि किसी परीक्षार्थी पर अवांछनीय सामग्री का प्रयोग कर लेने या करने का प्रयत्न करने का सन्देह हो तो) :–

1. संबंधित विक्षक या अधीक्षक परीक्षार्थी की तलाशी ले सकेंगे।
2. परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका, सन्देहास्पद सामग्री सहित उससे लेली जायेगी और उसका स्पष्टिकरण लिखवाया जाकर प्राप्त सामग्री पर उसके हस्ताक्षर करवाकर शेष प्रश्नों के उत्तर देने के लिये नई उत्तरपुस्तिका देदी जायेगी।
3. यदि परीक्षार्थी स्पष्टीकरण देने या सामग्री पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करें या परीक्षा केन्द्र से भाग जाये तो विक्षक आस–पास बैठे हुए परीक्षार्थियों से उस पर हस्ताक्षर करवालेवे।
4. उस सामग्री पर परीक्षार्थी, विक्षक एवं पर्यवेक्षक (सूपरवाईजर) तथा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कर सीलबन्द कर विद्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
5. ऐसे प्रकरणों के साथ निम्न सामग्री भेजी जायेगी :–
   - विद्यार्थी द्वारा लिखी गई उत्तरपुस्तिकाएं।
   - वह सामग्री जिसे नकल करते हुए पकड़ा जाये।
   - विद्यार्थी शिक्षक परीवीक्षक के बयान।
   - संस्था प्रधान की टिप्पणी।
   - संबंधित विषय के प्रश्न पत्र की एक प्रति।
   - अन्य कोई सामग्री अथवा प्रमाण जो संस्था प्रधान आवश्यक समझे।

(13) अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में दण्ड देने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

इस प्रकार के समस्त अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया जायेगा :–

1. सीनियर माध्यमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के लिए :–
   1. संबंधित संस्था प्रधान
   2. परीक्षा प्रभारी (संबंधित संस्था)
   3. संस्था प्रधान द्वारा मनोनित संस्था का वरिष्ठतम शिक्षक
2. उक्त समिति समस्त प्रकरणों पर निर्णय परीक्षा समाप्त होने के तीन दिन के भीतर कर लेगी। तब तक संबंधित परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम रोक रखा जायेगा।
3. समिति की सिफारीश पर अन्तिम निर्णय लेकर संबंधित संस्था प्रधान आदेश जारी करेंगे।
4. विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय नही होने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का निर्णय अन्तिम होगा।

www.rajteachers.com

(14) दण्ड :–

प्रकरण की गंभीरता के अनुरूप समिति निम्न में से किसी एक दण्ड को दे सकेंगी :–

1. जिन विषय में यह पाया जाय की नकल की सामग्री लाई तो गई थी परन्तु उसका उपयोग नही किया गया। ऐसे मामले में प्राप्त अंकों मे से 10 प्रतिशत अंक कम कर दिये जायेगे।
2. अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर प्रथम उत्तरपुस्तिका का निरस्त कर दूसरी उत्तरपुस्तिका के आधार पर जांच की जायेगी।
3. दोषी परीक्षार्थी के उस प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
4. परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
5. जहां विस्तृत पैमाने पर नकल की गई थी, वहां पर जिस प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों से संबंधित हो, वह परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
6. जहां कही ऐसे दोष में किसी/किन्ही शिक्षक अथवा कर्मचारी के लिप्त होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक नियमो के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही संक्षम अधिकारियों को प्रस्तावित की जावे।

(15) अन्य नियम :–

1. किसी भी परीक्षार्थी को यह अधिकार नही होगा कि वह अपना प्रतिनिधित्व किसी वैधानिक प्रारामर्शदाता, एडवोकेट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्राधीक्षक अथवा उक्त समिति के समक्ष करा सकें।
2. यदि परीक्षा के समय का अथवा उससे संबंधित कोई मामला उपर्युक्त किसी प्रावधान के अन्तर्गत न आये तो भी संस्था प्रधान यदि आवश्यक समझे तो उस मामले में इन नियमों में बताई गई पद्धति के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकारी होगा।

(16) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित सम्बद्ध आदेशों के अनुरूप इन नियमों में संशोधन मान्य होंगे।

(17) परीक्षा संबंधित इन नियमों के अन्तर्गत नही आये विषयों पर विभागाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का निर्णय अन्तिम होंगा।

निदेशक 28/3/12
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

::परिपत्र::

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश कमांकः परीक्षा–1/ सैल–8/ 2013/ 121085 दिनांकः 13.7.13 द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में पूरक परीक्षा योग्य घोषित परीक्षार्थियों को पूरक विषय में अर्जित किये गये प्राप्तांक जोडकर परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने बाबत प्रावधान लागू किये जाने के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से सम्बंधित सभी स्तर के विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली गृह परीक्षाओं एवं कक्षा कक्षोन्नति नियमों में (परिपत्र कमांकः शिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षो0 नियम/11–12, दिनांक 25.3.12 द्वारा शैक्षिक सत्र 2011–12 से संशोधन/परिवर्तन पश्चात लागू) आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या– 6 के उप बिन्दु (7) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है–

"पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंक तालिका में मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में अर्जित अंको के साथ, पूरक परीक्षा विषय में पूरक परीक्षा में अर्जित प्राप्तांक अंकित कर उक्तानुसार श्रेणी का निर्धारण करते हुए नयी अंक तालिका जारी कर दी जाये।"

(विकास एस. भाले)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कमांकः शिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षोन्नति नियम/11–12/167 दिनांकः 27.03.14

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन उपसचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त उपनिदेशक(माध्यमिक), शिक्षा विभाग।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(प्रथम/द्वितीय), माध्यमिक शिक्षा विभाग।
6. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

phd subhashji 10-3-14.docx

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 25.3.12 द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में सत्र 2011–12 से प्रभावी "परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम : 2011–12" के बिन्दु संख्या–(2) सामान्य नियम : 2 (क) परीक्षा प्रवेश योग्यता के उप बिन्दु (2) में यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा–9 व 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जाएगा, जिसने कम से कम दो लिखित सामयिक परखें दी हो या एक लिखित परख और अर्द्धवार्षिक परीक्षा दी हो और जिस परीक्षा/परख में वह सम्मिलित नहीं हुआ, उसके कारणों की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया संतुष्ट कर दिया हो।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा–10 के परीक्षा परिणाम की संवीक्षा पश्चात् विलम्ब से जारी किए जाने वाले संशोधित परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित विद्यार्थियों के प्रकरण में उपर्युक्त प्रावधान में बोर्ड द्वारा संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की तिथि से पूर्व आयोजित की जा चुकी परख/अर्द्धवार्षिक परीक्षा दिए जाने की शर्त से एतद् द्वारा शिथिलन प्रदान किया जाता है।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त प्रकरणों में विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना सन्दर्भित परिपत्र दिनांक : 25.3.12 के बिन्दु संख्या–2 (ख) के उप बिन्दु (5) में प्रदत्त निर्देशानुसार की जाएगी।

(बी0एल0स्वर्णकार)
आई0ए0एस0
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22497/कक्षो. नियम/2011–12/176 दिनांक : 16.03.2016

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेषाधिकारी(शिक्षा), शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय।
5. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा", प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित किए जाने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 9 के लिये सत्र 2010–11 से लागू)

क्र0 स0	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक परीक्षा		वार्षिक परीक्षा		पूर्णांक	न्यूनत उत्तीण
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न–पत्र	योग	प्रश्न–पत्र	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**भाषायें :**										
	(1) हिन्दी	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
	(2) अंग्रेजी	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
	(3) तृतीय भाषा	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
2	विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
3	समाजिक विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
4	गणित	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
5	राजस्थान अध्ययन	10	10	10	30	70	70	100	100	200	72
6	शारीरिक एवं स्वास्थ शिक्षा	10 8 प्रायो.	10 7 प्रायो.	15 10 प्रायो.	60	25 15 प्रायो.	40	30 70 प्रायो.	100	200	–
7	फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	10	10	10	30	50 20 प्रायो	70	70 30 प्रायो	100	200	–
8	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा	अनिवार्य प्रवृति 25				वैकल्पिक प्रवृति 45		शिविर 30		100	सतत आन्तरि मूल्यांक
	(2) कला शिक्षा	सैद्धान्तिक	25			प्रायोगिक	30 + 30	प्रस्तुति कार्य 15		100	

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घन्टे समयावधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न प पढनें के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढलेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकत है।
2. वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
3. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में ली जायेगी।

www.rajteachers.com

4. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय तथा फाउन्डेशन ऑफ इनफोरमेशन टेक्नोलोजी के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण नही जोड़े जाऐगे। इन विषयों के प्राप्तांकों को अंक तालिका में दर्शाया जायेगा (इन विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा।) फाउन्डेशन ऑफ इनफोरमेशन टेकनोलोजी हेतु राज्य सरकार/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वार जारी नवीनतम दिशा निर्देशों का अवलोकन करें एवं तद्नुसार कार्यवाही करें।
5. राजस्थान अध्ययन विषय में उतीर्ण होना अनिवार्य है। लेकिन प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगें।
6. केवल मान्यता प्राप्त/राजकीय मूकबधिर विद्यालयों अध्ययनरत छात्रों के लिए कक्षा 9 के पाठ्यक्रम को तीन सत्रों में 35+35+30 में विभाजित किया गया है। मूकबधिर छात्रों को अंग्रेजी व तृतीय भाषा की छूट रहेगी। यह छूट नियमित स्वयंपाठी के लिए लागू रहेगी।
7. कला शिक्षा के पाठ्यक्रम को दो भागों में विभक्त किया गया है :–
   1. चित्रकला 2. संगीत। विद्यार्थी दोनो में से एक चयन कर सकता है। दोनो के पूर्णाक 100 होगें।
8. ऐसे विद्यालय जहां कम्प्यूटर लैब की सुविधा नही है, वहां संस्था प्रधान पाठ्यक्रम एवं शाला की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार फाउन्डेशन ऑफ इनफोरमेशन टेकनोलोजी लिए निर्धारित कालाशों का समायोजन अन्य विषयों के शिक्षण में कर सकते है।
9. न्यूनतम उर्तीणांक 36 प्रतिशत होगें।

www.rajteachers.com

परिशिष्ठ – I

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 10 के लिये सत्र 2011–12 से लागू)

क्र0 स0	विषय	सामयिक परख				अर्द्धवार्षिक परीक्षा		कुल योग
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्नपत्र	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भाषायें :							
	(1) हिन्दी	10	10	10	30	70	70	100
	(2) अंग्रेजी	10	10	10	30	70	70	100
	(3) तृतीय भाषा	10	10	10	30	70	70	100
2	विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100
3	सामाजिक विज्ञान	10	10	10	30	70	70	100
4	गणित	10	10	10	30	70	70	100
5	राजस्थान अध्ययन	10	10	10	30	70	70	100
6	शा0शि0 एवं स्वास्थ्य शिक्षा	10	10	10	30	50 20 प्रायो	70	100
7	फाउन्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	10	10	10	30	50 20 प्रायो	70	100
8	(I) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा	अनिवार्य प्रवृति 25		वैकल्पिक प्रवृति 45		शिविर 30		100
	(II) कला शिक्षा	सैद्धान्तिक 25		प्रायोगिक 30+30		प्रस्तुति कार्य 15		100
9	नोट :– एस0यू0पी0डब्लू0 एवं कला शिक्षा में सतत् आन्तरिक मूल्यांकन							

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घन्टे समयावधि का होगा। इसमे 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढलेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने में भी कर सकता है।
2. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा बोर्ड नियमानुसार एवं योजनानुसार ही आयोजित करें।
3. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
4. राजस्थान अध्ययन विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा इस विषय के प्राप्तांकों को बोर्ड नियमानुसार ग्रेड में परिवर्तित कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करेंगे।

www.rajteachers.com

5. समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा/कला शिक्षा विषयों की लिखित परख/परीक्षाके स्थान पर वर्ष पर्यन्त सतत् मूल्यांकन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की विवरणिका मे निर्धारित प्रवृति/कार्य/शिविर आदि के अनुसार होगा तथा कुल 100 अंको मे से प्राप्त अंक के आधार पर ग्रेडिंग प्रदान की जायेगी।
6. फाउन्डेशन ऑफ इनफोर्मेशन टेकनोलोजी तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में अर्द्धवार्षिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर पूर्णांक 100 मे से विद्यालय द्वारा बोर्ड को प्राप्तांक प्रेषित किए जायेंगे। इन अंको का उल्लेख बोर्ड द्वारा प्रत्तत अंक तालिका में कर दिया जायेगा। इस विषय में प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नही जोड़े जायेगे।
7. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को विषयवार सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक भेजने की कार्यवाही बोर्ड के निर्देशानुसार ही की जावें।

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 11 के लिये सत्र 2010-11 से लागू)

परिशिष्ट – 2

क्र०सं०	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक परीक्षा			वार्षिक परीक्षा			पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो०	योग	प्रश्न पत्र	प्रायो०	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनिवार्य :												
	(1) हिन्दी	10	10	10	30	70	--	70	100	–	100	200	72
	(2) अंग्रेजी	10	10	10	30	70	--	70	100	–	100	200	72
	(3) राजस्थान अध्ययन	10	10	10	30	70	--	70	100	–	100	200	72
	(4) जीवन कौशल शिक्षा	बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार सतत् मूल्यांकन 30 + 30 + 40										100	–
2	वैकल्पिक विषय :												
	कला वर्ग :-												
	(1) भूगोल / मनोविज्ञान / गृहविज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) संगीत / चित्रकला	10	10	10	30	20	50	70	30	70	100	200	72
	(3) कम्प्यूटर विज्ञान / इनफोर्मेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टीमीडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(4) अन्य सभी विषय (बोर्ड द्वारा संचालित)	10	10	10	30	70	--	70	100	–	100	200	72
3	विज्ञान वर्ग –												
	(1) भौतिक / रसायन / जीव विज्ञान / भूविज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) गणित	10	10	10	30	70	--	70	100	–	100	200	72
	(3) कम्प्यूटर विज्ञान / इनफोर्मेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टीमीडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
4	कृषि विज्ञान वर्ग :-												
	(1) कृषि विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(2) जीव विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(3) रसायन विज्ञान / भौतिक विज्ञान	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72
	(4) गणित	10	10	10	30	70	--	70	100	–	100	200	72
	(5) कम्प्यूटर विज्ञान / इनफोर्मेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टीमीडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72

www.rajteachers.com

232

5	वाणिज्य वर्ग –												
	(1) व्यवसाय अध्ययन	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(2) टंकण (हिन्दी व अंग्रेजी)	5+5	5+5	5+5	15+15	–	35+35	70	–	50+50	100	200	72
	(3) शीघ्र लिपि एवं टंकण विधि (हिन्दी व अंग्रेजी)	10	10	10	30	35	35	70	50	50	100	200	72
	(4) लेखा शास्त्र	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(5) अर्थशास्त्र	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(6) गणित	10	10	10	30	70	–	70	100	–	100	200	72
	(7) कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फोरमेटिक्स प्रोक्टिस/मल्टी मीडिया वेब टेक	10	10	10	30	50	20	70	70	30	100	200	72

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.5 घन्टे समयावधि का होगा। इसमें 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढ़लेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने मे भी कर सकता है।
2. वार्षिक परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
3. राजस्थान अध्ययन विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है लेकिन प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नही जोड़े जायेगे।
4. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में ली जायेगी।
5. विद्यार्थी को विषय चयन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के दिशानिर्देशानुसार करने होगें।
6. सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत होगे।

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषयवार अंक विभाजन (कक्षा 12 के लिये सत्र 2011–12 से लागू)

क्र0 स0	विषय	सामयिक परख				अर्द्ध वार्षिक परीक्षा			कुल
		प्रथम परख	द्वितीय परख	तृतीय परख	योग	प्रश्न पत्र	प्रायोगिक	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ – अनिवार्य विषय									
1	हिन्दी	10	10	10	30	70		70	10
2	अंग्रेजी	10	10	10	30	70		70	10
3	राजस्थान अध्ययन (स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन)	10	10	10	30	70		70	10
ब – वैकल्पिक विषय									
	(कला वर्ग)								
1	मनो. विज्ञा. / भूगोल / गृह विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	10
2	संगीत / चित्रकला	10	10	10	30	30	40	70	10
3	कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	40	30	70	10
4	अन्य सभी विषय (बोर्ड द्वारा संचालित)	10	10	10	30	70		70	10
	(विज्ञान वर्ग)								
1	भौतिक / रसायन / जीव विज्ञान / भू0विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	1
2	गणित	10	10	10	30	70		70	1
3	कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	40	30	70	1

www.rajteachers.com

(कृषी विज्ञान के लिए विषय)									
1	कृषि विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
2	जीव विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
3	रसायन विज्ञान / भौतिक विज्ञान	10	10	10	30	40	30	70	100
4.	गणित	10	10	10	30	70		70	100
5.	कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	40	30	70	100
(वाणिज्य वर्ग)									
1	व्यवसाय अध्ययन	10	10	10	30	70		70	100
2	हिन्दी व अंग्रेजी टंकण	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+50
3.	हिन्दी शीघ्र लिपी एवं टंकण लिपि	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+50
4	अंग्रेजी शीघ्र लिपी एवं टंकण लिपि	5+5	5+5	5+5	15+15	35+35		35+35	50+50
5	लेखाशास्त्र	10	10	10	30	70		70	100
6.	अर्थशास्त्र	10	10	10	30	70		70	100
7.	गणित	10	10	10	30	70		70	100
8	कम्प्यूटर विज्ञान / इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस / मल्टिमिडिया वेबटेक	10	10	10	30	40	30	70	100

नोट :

1. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3.15 घन्टे समयावधि का होगा। इसमे 15 मिनट का समय विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढने के लिए दिर गया है। यदि विद्यार्थी प्रश्न पत्र जल्दी पढलेता है तो शेष समय का उपयोग प्रश्न पत्र हल करने मे भी कर सकता है।
2. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नियमानुसार एवं योजनानुसार ही आयोजित करें।
3. अर्द्ध वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जायेगा।
4. प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों एवं समयावअधि में ली जायेगी।
5. विद्यार्थी को विषय चयन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के दिशा–निर्देशानुसार करने होगे।

www.rajteachers.com